न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

[redacted] मुकदमा नंबर :— जीसीएमएस नंबर 2024/81
मैन्युअल नंबर 20/2024

रजु दिनांकः :— 02.09.2024

1. ईश्वर लाल पुत्र महादेव उम्र 54 वर्ष
2. गोपाल पुत्र महादेव उम्र 59 वर्ष
3. लक्ष्मण पुत्र महादेव उम्र 64 वर्ष
4. लल्लू पुत्र महादेव उम्र 62 वर्ष

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम कालूवास तहसील राहूवास जिला दौसा

(अपीलांटस)

बनाम

1. गोविन्दी पत्नी चन्दाराम उम्र 65 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम कालूवास तहसील राहूवास जिला दोसा राज0
2. कजोड पुत्र रामचन्द उम्र 59 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम बामनहेडी तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व अधिकारी) राहूवास जिला दौसा (राज0)

(रेस्पोडेन्टस)

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 834 दिनांक 03.07.2024 तहसीलदार राहूवास आराजी खसरा नं0 111, 121, 126 वाकै ग्राम कालूवास तहसील राहूवास जिला दौसा

उपस्थितः— 01. अपीलांटस की ओर सेः— अधिवक्ता श्री प्रकाश चंद शर्मा
02. रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर सेः— श्री के. के. सैनी
03. रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगा0 3 की ओर सेः— कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांकः 09/7/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की ओर से एक अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 834 दिनांक 03.07.2024 तहसीलदार राहूवास आराजी खसरा नं0 111, 121, 126 वाकै ग्राम कालूवास तहसील राहूवास इस आशय की पेश की पेश की है कि आराजी भूमि ख0नं0 111 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 121 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 126 रकबा 09 बिस्वा भूमि ग्राम कालूवास तहसील राहूवास जिला दौसा में स्थित है जो पूर्व में प्रार्थीगण के पितामह सुखपाल के नाम खातेदारी भूमि थी आगे चलकर सम्वत् 2018 में भूमि

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

एकीकरण के समय राजस्व अधिकारी से साज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता रामचन्दर के द्वारा उक्त भूमि का एकीकरण में अपने नाम अंकित करवा लिया। अपीलांट को उक्त इन्द्राज की जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा उपजिला कलक्टर लालसोट के समक्ष वाद अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र मय अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी प्रकरण लक्ष्मण बनाम कजोड वगैरह प्रस्तुत किया जिस पर माननीय उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा 16.07.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तथा तत्कालीन तहसीलदार लालसोट एवं उप पंजीयक लालसोट को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि उक्त आराजीयात के संबंध में विवादग्रस्त आराजी में बेजा मजामहत मदाखलत नहीं करे तथा रहन बय मुन्तकिल नहीं करे। उक्त आदेश का अंकन अपीलान्टस द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में सम्वत 2060 दिनांक 22.07.2005 को तहसीलदार लालसोट को प्रेषित कर स्थगन आदेश का अंकन नोट करवा लिया गया उक्त मा0 न्यायालय का आदेश आज तक बरकरार है तथा प्रकरण दावा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में स्थानान्तरित हो गया। उक्त जमाबंदी में स्थगन आदेश का जो अंकन चला आ रहा था उसे राजस्व रिकॉर्ड में आगे तत्कालीन पटवारी के द्वारा बेईमानी पूर्वक बिना किसी आदेश के हटा दिया गया। जिसकी आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 24.06.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/2 जरिये विक्रय पत्र उपपंजीयक राहुवास के द्वारा उक्त आराजीयात का यहां बेचान कर दिया। जिसके संबंध में जैर नामान्तकरण दिनांक 03.07.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा खोल दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रश्नगत नामान्तकरण नियम कायदे कानूनो की बिना पूर्ण पालना किये बिना सुनवाई कब्जे के विपरीत जाकर बिना जांच किये ही मनमर्जी मुताबिक खोल दिया गया जबकि सभी खातेदारान को सुनवाई का अवसर देकर वास्तविक वस्तुस्थिति अनुसार विधिवत जांच की जाकर प्रश्नगत नामांतकरण तस्दीक करना चाहिये परंतु तहसीलदार राहूवास द्वारा सारे नियम कानून कायदो को ताक में रखकर बिना सुनवाई व बिना जांच किये तथा पटवारी द्वारा जांच की जाकर आदेश फरमाने बाबत अंकित नोट को अनदेखा करते हुये प्रश्नगत नामांतरण खोल दिया गया तथा उक्त प्रश्नगत नामांतरण की आड में रेवेन्यू ऐजेन्सी के तत्कालीन कर्मचारियों द्वारा प्रश्नगत नामान्तकरण वास्तविक कब्जे के विपरीत बिना अपीलान्ट्स की सुनवाई व बिना जांच के मनमर्जी पूर्वक गलत तस्दीक कर दिया गया है। जो आरम्भतः अवैध तथा प्रभावशून्य है। अतः प्रश्नत नामान्तकरण आदेश सव्यय निरस्तनीय है।

अपीलांटस ने आगे अभिवचन किए है कि उनवानी प्रकरण लक्ष्मण बनाम कजोड व अन्य मान0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा के यहां विचाराधीन है तथा उसमें स्थगन आदेश है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्टस को थी उसके बावजूद भी विवादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र पंजीकृत किया गया तथा स्वयं के द्वारा ही नामांतरण नियमो की अनदेखी करते हुए पटवारी की बिना रिपोर्ट के लिस्ट पेन्डेन्सी ऑफ सूट के दौरान प्रश्नगत नामांतरण तस्दीक करना कानूनन गलत है तथा उक्त नामांतरण की आड व पंजीकृत विक्रय विलेख में कब्जा देने की इबारत का अंकन होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपीलान्ट को उक्त भूमि से लाठी के बल पर बेदखलन किये जाने का भरसक प्रयासरत है। रेस्पो0 संख्या 2 तथा उसका पिता रामचन्द्र पुत्र बुद्धा कभी कालूवास में नही रहा और ना उक्त भूमि पर कब्जा रहा है। रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा विवादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र रेस्पो0 संख्या 1 के हक में सम्पत्ति अंतरण की धारा 52 एवं धारा 53 के विरूद्ध किया गया है जो कानून के विरूद्ध तथा कपट पूर्वक अंतरण होने के कारण जैर अपील नामान्तरण प्रथमतः शून्य है। अपीलांटस ने इस प्रकार कथन करते हुये अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमाने व तहसीलदार राहूवास का नामांतरण संख्या 834 दिनांक 03.07.2024 वाकै ग्राम कालूवास तहसील राहूवास को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। प्रकरण से संबंधित मूल नामांतरण अभिलेख तलब किया जाकर शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट

अति. जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 सैनी उपस्थित आये तथा रेस्पो0 संख्या 2 लगा0 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र किए जाने स्थगन रिकॉल पेश किया एवं अपीलांट द्वारा प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया [redacted] अधिवक्तागण उभयपक्ष की मूल अपील की बहस के साथ बहस प्रार्थना पत्र स्थगन रिकॉल एवं बहस प्रारंभिक आपत्ति प्रा0प0 सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण से संबंधित वाद संख्या 37/2008 उनवानी लक्ष्मण बनाम कजोड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन है तथा उसमें स्थगन आदेश है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्टस को थी उसके बावजूद भी विवादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र पंजीकृत किया गया तथा स्वयं के द्वारा ही नामान्तरकरण नियमों की अनदेखी करते हुये पटवारी की बिना रिपोर्ट के लिस्ट ऑफ पेन्डेन्सी ऑफ सूट के दौरान प्रश्नगत नामांतरण तस्दीक करना कानूनन गलत है। उक्त नामांतरण की आड तथा पंजीकृत विक्रय विलेख में कब्जा देने की इबारत का अंकन होने से रेस्पो0 सं0 1 के द्वारा अपीलान्ट को उक्त भूमि से लाठी के बल पर बेदखल किये जाने का भरसक प्रयासरत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के परिवार में कम से कम 50 व्यक्ति है जो लडाकू व लठेत प्रवृत्ति के है। रेस्पो0 सं0 2 तथाा उसका पिता रामचन्द्र पुत्र बुद्धा कभी भी कालूवास में नहीं रहा है और ना ही उक्त भूमि पर उसका कब्जा रहा है। रेस्पो0 सं0 2 द्वारा विवादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र रेस्पो0 सं0 1 के हक में सम्पत्ति का अंतरण की धारा 52 एवं धारा 53 के विरूद्ध किया गया है। अधिवक्ता अपीलांटस ने इस प्रकार कथन करते हुए अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाकर तहसीलदार राहूवास का नामांतरण संख्या 834 दिनांक 03.07.2024 वाकै ग्राम कालूवास तहसील राहूवास को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अपीलांटस ने अपने अभिवाको के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैः—

Rajasthan High Court Jaipur- Parasmal and Other V/s Ms Sobhang Devi And Ors. On 14 December, 2006

Supreme Court Of India - Yogesh Goyanka V/s Govind and Other Civil Appeal No(s). 10005 of 2022

Ms. Santosh V/s Shabdprakash and other (2007 RRD Page 109)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया कि प्रकरण से संबंधित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन है, जिसमें 16 जुलाई 2005 को दावा पेश हुआ एवं स्टे आगे नही बढा है। जिस कारण जमाबंदी में अंकन नहीं। दावा नियमित नहीं रहा है। दिनांक 08.08.2023 को दावा पुनः नम्बर पर लिया गया है। कजोड पुत्र रामचन्द्र अकेला था। रामचन्द्र पुत्र बुद्धा भी अकेला था। अगर कजोड पागल/विक्षिप्त व्यक्ति है तो सीपीसी आर्डर 32 के तहत बिना कोर्ट की अनुमति के एवं बिना संरक्षक के कैसे दावा किया। इसका मतलब तथ्य छुपाये गये है। प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी के साथ पेश नहीं किया तो आपत्ति प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का है। पंजीकृत दस्तावेज को आज तक चुनौती नहीं दी गई है। भू—प्रबंध से पूर्व व बाद में जमीन एक के ही नाम थी। रामचन्द्र का हिस्सा 1/2 था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमाई जावे।

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने अभिवाको के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये है:-

2018(3) c.c.c. page 92 (Raj)

2020 RBJ Page 79 (R.B.)

Umakant Sharma V/s Om prakash Sharma S.B. Civil Writ Petition No. 840/2025 Date 27/05/2025 Honble Raj. High Court

2012 (i) RRT Page 374 (R.B.)

2011 (4) CCC Page 723 (SC)

RRT 2018(2) Page 1552 (R.B.)

RBJ 2003 Page 18 (R.B.)

2006 (1) RRT Page 242 (R.B.)

2024(4) CCC Page 714 (Raj. H.C.)

2024(4) CCC Page 452 (M.P.)

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत नामांतरण से संबंधित आराजी भूमि खसरा नं0 111,121 व 126 के संबंध में वाद अधिघोषणा का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन है तथा उक्त भूमि तत्कालीन उपजिला कलक्टर, लालसोट के रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करने बाबत स्थगन आदेश से भी ग्रस्त है। न्यायालय की राय में विवादग्रस्त आराजी भूमि के संबंध में पेन्डेन्सी ऑफ सूट एवं स्थगन आदेश प्रभावी होने के दौरान अधीनस्थ तहसीलदार राहूवास द्वारा प्रश्नगत नामांतरण तस्दीक किया जाना विधिक तौर पर उचित नही है। अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरण संख्या 834 दिनांक 03.07.2024 वाकै ग्राम कालूवास तहसील राहूवास निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार राहूवास को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियम एवं विधि के प्रावधानानुसार नामांतरण बाबत पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09/7/25 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना आरएएस)
अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा